न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण अपील संख्या– 51/2020

दायर दिनांक : 12.10.2020

शंकरलालपुत्र श्री श्याम सुन्दर जाति अरोड़ा निवासी महताब कॉलोनी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम एल.आर.एक्ट.1956

उपस्थितः

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, श्री अशोक कुमार छाबडा, वकील अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांकः 30.03.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार घड़साना के निर्णय दिनांक 30.09.2020 के विरूद्ध पत्रावली संख्या 109/2020 द्वारा अपीलांट को चक 3 एस.टी.आर. गैर मुमकिन मण्डी भूमि की दुकान के आगे 16.8×7.10 वर्ग फुट पर अतिकमी मान कर अतिकमण हटाने वा बेदखल करने के आदेश दिये है जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वा जॉच ना करते हुए प्रकिया के विपरीत पारित किये है अपीलांट अतिकमी नहीं है इसलिए आदेश दिनांक 30.09.2020 को निरस्त किया जावे।

अपील संख्या 51/2020 पर दर्ज कर दिनांक 12.10.2020 को यथास्थिति बनाये रखने हेतू स्थगन आदेश जारी किया गया वा रेस्पोडेन्ट को तलब किया वा रिकॉर्ड अदालत मातहत का मंगाया जाकर शामिल मिशल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रथमतया अपीलाधीन भूमि वाके चक 3 एस.टी.आर. गैरमुमकिन मन्डी की दुकान के सामने 16.8×7.10 वर्ग फीट पर उसके द्वारा कोई अतिकमण नहीं किया गया मात्र दुकान की सुरक्षा हेतू वा पहुँच बनाने हेतू पेड़ी बनायी है जो किसी भी प्रकार से कब्जा की परिभाषा में नहीं आता अतिकमण का आरोप निराधार है यदि पेड़ी नहीं बनाते तो दुकान में उचॉई होने से लोग पहुँच नहीं पायेंगें यह मात्र सार्वजनिक सुविधा के लिए बनाई गई है। इस प्रकार का निर्माण अन्य दुकानदारों द्वारा भी किया गया है मात्र रंजिशवश अपीलांट को परेशान करने के लिए इसे अतिकमण बताया गया है यह सार्वजनिक हित हेतू अस्थाई निर्माण है। इसे सार्वजनिक सुविधा कहॉ जा सकता है अतिकमण नहीं। द्वितीय निर्णय से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि गैरमुमकिन मण्डी समिति की है और मंडी समिति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। प्रशनगत् भूमि ना तो कृषि भूमि है ना ही रेस्पोडेन्ट के क्षेत्राधिकार की भूमि है। यह भूमि मण्डी क्षेत्र की है और वाणिज्यिक उपभोग की भूमि कही जा सकती है जो कि मन्डी सचिव पंचायत में होने पर सरपंच ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार की हो सकती है माननीय तहसीलदार को पंचायत की भूमि पर अथवा मन्डी की भूमि में किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है चक 3 एस.टी.आर. तहसील घड़साना में अपीलाधीन गैरमुमकिन भूमि के अलावा चिपती भूमि अपीलांट ने खरीद की हुई है जिसके साक्ष्य पत्रावली के संलग्न है। अपीलांट द्वारा मन्डी समिति से भूमि खरीदने के पश्चात दुकान का निर्माण करवाया जो कि सीमा में उचॉई पर है उसी तक पहुँच

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

के लिए सीढ़िया बनाई गई है जो कि सार्वजनिक हित के लिए बनाई है अपीलांट द्वारा स्वयं लिए नही बल्कि सार्वजनिक हित को मध्य नजर रखते हुए जनता की सुविधा के लिए है जो मात्र अपीलांट के धारण में नही है इसमे कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर दुकान मे अपनी पहुँच बना सकता है यह भूमि सार्वजनिक सुविधा हेतू है और यह मन्डी की दुकानों के साथ एक रूपता भी बनाता है यह भूमि बाजार क्षेत्र में है इसमें कोई कृषि कार्य नही होता। सीढ़ीयों पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं है और यह सीढ़ियाँ सार्वजनिक है। मात्र अपीलांट को अतिचारी घोषित किया जाना कतई गलत है। वाणिज्यिक भूमि होने से तहसीलदार के क्षेत्राधिकार से बाहर है और इस पर अपीलांट का या अन्य किसी को अधिकार विहीन करते हुए कब्जाभी नही है इसलिए मात्र अपीलांट को ही अतिचारी मानना गलत है। यह भूमि मन्डी एवं पंचायत के क्षेत्राधिकार की है इसमे ना तो मन्डी सचिव द्वारा कोई शिकायत /आपत्ति कीहै ना ही पंचायत द्वारा कोई शिकायत दर्ज की है इसलिए अपीलांट के विरूद्ध पारित आदेश बाबत अतिचारी दिनांक 30.09.2020 नायब तहसीलदार घड़साना अधिकार विहीन व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। जिसके विरूद्ध नियमानुसार ही कार्यवाही की गई है। अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा अपील आदेश यथावत रखा जावे।

हमने बहस उभय पक्ष व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रश्नगत् भूमि पक्षकारान के स्वीकृत तथ्यों के अनुसार अतिरिक्त कलैक्टर एवं मण्डी समिति हनुमानगढ़ के क्षेत्राधिकार की है, यह पद वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और इस भूमि को यदि पंचायत क्षेत्र में समाहित माना जावे तो उस अवस्था में रिहायशी क्षेत्र व पंचायत की भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने का क्षेत्राधिकार पंचायत को है। तहसीलदार घड़साना को बिना पंचायत की अनुशंसा के अतिक्रमी मानना व उसे बेदखल करने का अधिकार नही है। मण्डी व पंचायत हेतू बेदखल करने के अधिकार विशिष्ट रूप से क्षेत्राधिकार के आधार पर सम्बंधित सरपंच व मण्डी अधिकारियों को है, जिनके अधिकार क्षेत्र में भूमि है, इसलिए क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर अपीलांट के तर्क मानने योग्य है। तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार के सम्बंध में किसी प्रकार के नियम/नोटिफिकेशन प्रस्तुत नही किये गये। धारा 22 कोलो.एक्ट 1954 सामान्य प्रकिया है जबकि उपनिवेशन क्षेत्र से विशिष्ट भूमि अलग से क्षेत्राधिकार में दिये जाने पर उसके लिए अलग से क्षेत्राधिकार सरपंच या मण्डी सचिव को दिये गये है उन्हीं के प्रावधान विशिष्ट रूप से विशिष्ट भूमि पर प्रभावशील होंगें। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार घड़साना द्वारा पारित आदेश 30.9.2020 क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदारर (राजस्व), घड़साना के प्रकरण संख्या 109/2020 अनवान सरकार बनाम शंकरलाल पुत्र श्याम सुन्दर में पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति सहित लौटाया जावें। अपील पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला आचारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)